

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम०बी०बी०एस० छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र-छात्राओं हेतु एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (₹ एक लाख पैंतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दरों पर ही लिया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-227(म०)/XVII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।



1/1/21

संख्या-1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 5- गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 8- कूलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 9- समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।